

RF No. 2651

14-2-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट-1

जयपुर, दिनांक - 6 FEB 2012

- आदेश :-

निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास	सेवानिवृति दिनांक
1.	118/08	श्री जसविन्द शर्मा वरिष्ठ लिपिक, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	डब्ल्यू-ब्लॉक एमआरईसी कम्पस गांधीनगर	31.7.2018
2.	155/08	श्री पुष्पेन्द्र कुमार भट्ट निजी सहायक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तवता मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर	III/22 गांधीनगर	30.9.2018
3.	21/09	सुश्री निर्मला कुमारी स्टाफ नर्स, श्रेणी प्रथम, सवाई. मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ई-920 गांधीनगर	30.4.2021
4.	49/09	श्री गोपाल सिंह पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) पशुपालन विभाग, जयपुर	III/71 गांधीनगर (III/46 गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2025
5.	52/09	श्री सुभाषचन्द्र महिचा लेखाकार, वित्त व्यय-3 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	18/III/बी बहुमंजिला गांधीनगर	31.8.2027
6.	57/09	श्री सुख पाल सिंह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कार्यालय निदेशक एवं शासन उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	13/III/सी बहुमंजिला गांधीनगर	30.4.2028
7.	59/09	श्री सुधीर कुमार जैन निजी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर	17/III/सी बहुमंजिला गांधीनगर	30.4.2028
8.	105/09	श्री सुरील कुमार शर्मा प्रवक्ता, कम्प्यूटर इंजिनियरिंग कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	III/82 गांधीनगर (III/69 गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2045
9.	114/09	श्री सुरेश चन्द्र वर्मा लेखाकार राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय, जयपुर	III/26 गांधीनगर	31.7.2023
10.	117/09	श्री देवेंद्र चन्द्र शर्मा नर्स ग्रेड -II (ओ.टी.-II) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	III/90 गांधीनगर	31.7.2023
11.	121/09	श्रीमती राजनिशा सैनी व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	III/72 गांधीनगर	30.6.2041
12.	41/2010	श्री आलोक चन्द्र शर्मा उप अधीक्षक, उप निदेशक टैफ, पर्यटन विभाग, जयपुर। (नीतिगत निर्णय अनुसार)	III/109 एवीएस गांधीनगर	31.10.2036

OIC (web.)

A
14-2-2012Sharma
15/2
Om (M.A.)

13.	21/2011	श्री विश्वर दयाल बेरवा सांख्यिकी सहायक कलेक्ट्रेट जयपुर	ए-13 जवाहरनगर	30.9.2027
14.	31/2011	डॉ० पुष्पेन्द्र बुडानिया सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15/16 मालवीयनगर	31.1.2041
15.	89/2011	डॉ० सुनीता महला मेडिकल ऑफिसर, सी.ए.एस. बायोकेमिस्ट्री, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	ए-64 जवाहरनगर (ए-152 जवाहरनगर के स्थान पर)	31.7.2038
16.	99/2011	डॉ० कुलदीप सिंह बेनीवाल चिकित्सा अधिकारी, जीव रसायन विज्ञान, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-99 जवाहरनगर	31.3.2035
17.	104/2011	श्री अमर जीत सिंह व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणपति नगर जयपुर	ए-144 जवाहरनगर	31.7.2011
18.	129/2011	डॉ० रजनीश कुमार सिंघल चिकित्सा अधिकारी सीएस.पीजी (ऐनेस्थीया) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	15/21 मालवीयनगर	31.12.2037
19.	130/2011	डॉ० रेणु वर्मा चिकित्सा अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	15/56 मालवीयनगर	31.7.2041
20.	132/2011	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा नर्स ग्रेड प्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	15/70 मालवीयनगर	30.9.2026
21.	133/2011	श्री मंगलाराम विश्वा लेखाधिकारी (प्रशिक्षु), वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	जीए/III/टी-2/ 16 विद्याधरनगर	30.6.2037
22.	134/2011	सुश्री दिवा मेहता सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय, उपायुक्त प्रशासन द्वितीय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	जीए/III/टी-2/ 27 विद्याधरनगर	31.7.2038
23.	135/2011	श्रीमती ज्योतिबाला व्यास प्रशिक्षु लेखाधिकारी, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 28 विद्याधरनगर	31.10.2042
24.	136/2011	डॉ० सुधीर कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी (प्रशिक्षण), निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 31 विद्याधरनगर	31.5.2028
25.	140/2011	श्रीमती सीमा शर्मा प्राध्यापक, राजकीय पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 32 विद्याधरनगर	30.4.2027
26.	141/2011	डॉ० (श्रीमती) शैलजा आलम कनिष्ठ रसायनज्ञ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रयोगशाला, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 42 विद्याधरनगर	31.3.2030
27.	146/2011	श्री राकेश भटनागर सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 43 विद्याधरनगर	31.8.2019
28.	148/2011	श्री प्रकाश चन्द सैन मेल नर्स द्वितीय सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 46 विद्याधरनगर	31.3.2030

(Handwritten signature)

शर्त-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -5 पर अंकित श्री सुभाष चन्द महिचा से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. कम संख्या -6 पर अंकित श्री सुखपाल सिंह से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
11. कम संख्या -7 पर अंकित श्री सुधीर कुमार जैन से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
12. कम संख्या -12 पर अंकित श्री आलोक चन्द शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
13. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

आज्ञा से



(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
10. निदेशक, पशुपाल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, लेखा एवं कोष विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक एवं शासन उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
13. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
14. अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन, जयपुर।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
16. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
18. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
20. प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणपतिनगर, जयपुर।
21. शासन उप सचिव, जीएफएण्डआर वित्त विभाग, जयपुर।
22. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
23. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।

24. निर्माण विभाग/प्रशासन विभाग/निर्माण विभाग को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का निर्माण/प्राप्ति की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटित आवास में कब्जा लेने में असमर्थ रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लायें।
25. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विभागे/निर्माण विभागे/गांधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
26. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
27. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करावें।
28. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करावें।
29. निदेशक, उद्यान विज्ञान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
30. श्री गोपाल सिंह, पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी पशुपालन विभाग, जयपुर -कृपया परिवर्तित आवास संख्या 111/71, गांधीनगर का कब्जा लेकर आवंटित आवास संख्या 111-46, गांधीनगर रिक्त कर सूचित करावें।
31. श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रवक्ता, कम्प्यूटर इंजिनियर, राजकीय महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास संख्या 111/82 गांधीनगर का कब्जा लेकर आवंटित आवास संख्या 111/69 गांधीनगर रिक्त कर सूचित करावें।
32. डॉ० सुनीता महला, मेडिकल ऑफिसर, सीएस बायोकेमिस्ट्री, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर -कृपया परिवर्तित आवास संख्या ए-64 जवाहरनगर का कब्जा लेकर आवंटित आवास संख्या ए-152 जवाहरनगर रिक्त कर सूचित करावें।
33. संबंधित अधिकारीगण।
34. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
35. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
36. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
37. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव